न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 102/2024
तारीख दायर 09.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–विजयेश कुमार पण्ड्या, आरएएस

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री भुवनेश कुमावत पुत्र श्री बालुराम, मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, घण्टाली रोड, सालमगढ़

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 21/05/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड घी (नोवा) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लि[illegible] की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद [illegible] दिनांक 24[illegible]024 को 4.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 बालाजी [illegible] स्टोर, घ[illegible] रोड पहुंचा, वहां पर [illegible] (नोवा) के 6 लीटर पैक पैकेट रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम भुवनेश कुमावत पुत्र श्री बालुराम बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:11 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे घी (नोवा) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 भरकर दिया गया ओर बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त घी (नोवा) पैकेट में से 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 2400/—रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सील्ड पैकिट घी (नोवा) 1 लीटर पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकिट पर एक—एक कर चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई—2277 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विकेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई—2277 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विकेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया ।

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील्डबन्द कर सील्ड मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील्ड मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील्ड बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील्ड बन्द कर तथा नमूना [illegible] भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को [illegible] प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:11 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (नोवा) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त क्रम में फर्म के मालिक को फर्म सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना दी गई। फर्म के मालिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अमित जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी अभियुक्त को कई बार जवाब प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएचले /बांस/एक्ट/2024/1100 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा घी का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर 10000 रू अक्षरे दस हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजक[illegible] दिनांक 21.05.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट [illegible] ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को [illegible] गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / रीडर / 2025 /   दिनांक 21.05.2025

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री भुवनेश कुमावत पुत्र श्री बालुराम, मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, घण्टाली रोड, सालमगढ़

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:11 IST
Reason: SelfAttested